भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*285
सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

रोजगार कार्यालय

*285. श्री एन॰ रेड्डप्पः
श्री दयाकर पसुनूरीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार पुरुष/महिलाओं का वर्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रदान किए गए रोजगार का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस प्रक्रिया में महिलाओं को वरीयता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

रोजगार कार्यालय के संबंध में श्री एन॰ रेड्डप्प एवं श्री दयाकर पसुनूरी द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *285 के भाग (क) से (ग) के लिए दिनांक 09.12.2019 को दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क एवं ख): राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त विद्यमान सूचना के अनुसार, देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या अगस्त, 2017 तक 272.29 लाख पुरूष तथा 156.31 लाख महिला थी। 2016 के दौरान अनुसूचित जाति के रोजगार चाहने वाले 71.5 लाख, अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वाले 25.5 लाख तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रोजगार चाहने वाले 116.2 लाख थे। देश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियोजित रोजगार चाहने वालों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-। में दी गई है।

(ग): देश में रोजगार कार्यालयों का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, 5 रोजगार कार्यालय विशेष रूप से महिलाओं हेतु हैं।

सरकार उपलब्ध सीमा तक विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा महिलाओं को निम्नानुसार प्राथमिकता दे रही हैः

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 द्वारा यह अनुबंध किया गया कि रोजगार प्रदान करते समय महिलाओं को ऐसे ढंग से प्राथमिकता दी जाएगी कि लाभार्थियों का कम से कम एक तिहाई महिलाओं जिन्होंने योजना के अंतर्गत कार्य हेतु पंजीकरण करवाया हो एवं आवेदन किया हो। इसके अतिरिक्त, पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत, यह अनिवार्य है कि शामिल किए गए व्यक्तियों में एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। पीएमएमवाई के तहत, 0.25% की विशेष छूट महिला उधारकर्त्ताओं को प्रदान की जाती है। मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए गए लगभग 70% ऋण (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, संस्वीकृत कुल 18.26 करोड़ में से 12.74 करोड़) महिला उद्यमियों को दिए गए हैं।

सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से महिला कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत और अधिक महिला भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष संकेन्द्रण एवं प्रावधान किए गए हैं। हाल में कुशल महिलाओं को नए रोजगार/व्यवसाय में व्यवस्थित होने के लिए समर्थ बनाने हेतु नियोजन के निवास-स्थान के भीतर दो माह तथा निवास-स्थान से बाहर तीन माह हेतु 1500/- रु. प्रति माह की दर से नियोजन पश्च सहायता प्रदान कराई जाती है।

इसके अतिरिक्त, महिलाओं को रोजगार में प्रोत्साहित करने के लिए, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें बाल देख-भाल केंद्र, बच्चों को स्तन-पान हेतु समय देना, सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में पुरुष एवं महिला कामगारों हेतु बिना किसी भेदभाव के समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत समुचित सरकार द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी बगैर किसी लैंगिक भेदभाव के पुरुष एवं महिला कामगारों दोनों पर समान रूप से लागू होती है।

*****

अनुबंध -I

लोक सभा के दिनांक 09.12.2019 के तारांकित प्रश्न संख्या *285 के भाग (क एवं ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध सीमा तक नियोजित रोजगार चाहने वालों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे

		रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियोजन (हजार में)								
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2015			2016			2017*		
		पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति
1	आंध्र प्रदेश	0.15	0.05	0.20	0.40	0.10	0.50	0.10	0.06	0.16
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	0.58	0.27	0.85	0.40	0.20	0.60	0.44	0.11	0.55
4	बिहार	1.03	0.07	1.10	1.50	0.40	1.90	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	2.04	1.14	3.18	0.10	0.10	0.20	0.23	0.02	0.25
6	दिल्ली	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गोवा	2.49	0.42	2.91	0.50	0.60	1.10	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	287.27	49.40	336.67	285.70	44.40	330.10	213.56	60.87	274.43
9	हरियाणा	0.27	0.01	0.28	0.40	0.00	0.40	0.05	0.00	0.05
10	हिमाचल प्रदेश	0.95	0.16	1.11	1.40	0.10	1.50	0.20	0.05	0.25
11	जम्मू और कश्मीर	0.05	0.03	0.08	0.10	0.10	0.20	0.69	0.28	0.97
12	झारखंड	2.91	0.04	2.95	2.40	0.10	2.50	2.51	0.26	2.78
13	कर्नाटक	0.53	0.26	0.79	0.40	0.30	0.70	0.15	0.12	0.27
14	केरल	4.20	4.02	8.22	4.70	6.60	11.30	3.22	2.93	6.15
15	मध्य प्रदेश	0.10	0.01	0.11	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
16	महाराष्ट्र	22.27	0.61	22.88	35.90	1.70	37.60	1.20	0.08	1.28
17	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मेघालय	0.07	0.08	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
19	मिजोरम	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	ओडिशा	0.92	0.33	1.25	2.50	1.30	3.80	2.41	1.35	3.76
22	पंजाब	1.49	0.22	1.71	2.40	0.20	2.60	1.36	0.23	1.58
23	राजस्थान	0.34	0.05	0.39	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10
24	सिक्किम#	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	तमिलनाडु	5.54	2.19	7.73	3.60	2.60	6.20	0.58	0.66	1.24
26	तेलंगाना	0.46	0.04	0.50	0.40	0.10	0.50	0.04	0.03	0.06
27	त्रिपुरा	0.23	0.15	0.38	0.10	0.10	0.20	0.01	0.00	0.01
28	उत्तराखंड	0.18	0.04	0.22	0.30	0.00	0.30	0.03	0.02	0.05
29	उत्तर प्रदेश	0.41	0.00	0.41	1.30	0.20	1.50	0.06	0.02	0.08
30	पश्चिम बंगाल	0.25	0.22	0.47	0.80	0.40	1.20	0.00	0.00	0.00
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.08	0.03	0.11	0.30	0.10	0.40	0.00	0.00	0.00
32	चंडीगढ़	0.06	0.02	0.08	0.10	0.10	0.20	0.04	0.04	0.08
33	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	पुडुचेरी	0.06	0.03	0.09	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
	अखिल भारत@	**335.09**	**59.90**	**394.99**	**345.80**	**59.70**	**405.50**	**226.98**	**67.14**	**294.12**

स्रोत: रोजगार कार्यालय सांख्यिकी, रोजगार महानिदेशालय

टिप्पणी: # इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है;

@ हो सकता है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

*अनंतिम (अगस्त, 2017 तक)